तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अशोक कुमार बनाम राज0 सरकार प्रकरण संख्या 55/2024 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.7.24	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कस्बा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू में कृषि भूमि खसरा नं. 1550 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3900 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि का पूर्व में सह खातेदार काश्तकार निहालचन्द नामक व्यक्ति था। उक्त निहालचन्द का इन्तकाल होने के बाद धारा 1 में वर्णित भूमि का विरासतन नामान्तकरण सं. 1003 दिनांक 11.07.2008 को अनावेदक द्वारा भरा गया। उक्त नामान्तकरण के आधार पर निहालचन्द के वारिसों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नामान्तकरण के आधार पर स्व. निहालचन्द के वारिस आवेदक के हिस्से में धारा 1 में वर्णित भूमि का 1/15 हक हिस्सा दर्ज हुआ एंव इसी अनुसार आवेदक को धारा 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी हक अधिकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार प्राप्त हुये तथा कब्जा काश्त है। नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये व बिना दस्तावेजों के राजस्व रिकॉर्ड में स्व. निहालचन्द का नाम निहाल सिंह गलत दर्ज कर दिया गया जबकि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में निहालचन्द नाम दर्ज था तथा उसी आधार पर बने राजस्व रिकॉर्ड में स्व. निहाल सिंह के वारिस आवेदक का नाम भी अशोक कुमार पुत्र निहाल सिंह दर्ज किया गया जो गलत दर्ज कर दिया गया जबकि आवेदक के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में आवेदक का सही नाम अशोक कुमार जैन पुत्र निहालचन्द जैन दर्ज है। नामान्तकरण दर्ज होने के बाद से ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत नाम की पुनरावृति होती रही जो बदस्तुर चला आ रहा है। उक्त भूमि में आवेदक का स्व. निहालचन्द का पुत्र होने से एंव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण के अनुसार 1/15 हक हिस्सा है एंव आवेदक अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। आवेदक एक 66 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसको राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। आवेदक को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि प्राप्त नही होने के कारण पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर आवेदक को बताया कि आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही दर्ज नही है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि की है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था। उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कस्बा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 1550 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3900 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम अशोक कुमार पुत्र निहाल सिंह के स्थान पर अशोक कुमार जैन पुत्र निहालचन्द जैन अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमायें जावें । अन्य सिद्धि जो आवेदक के हक में हो तथा भूल से चाही जाने से रह गई हो हस्ब कायदा आवेदक को दिलवाई जावें। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अनावेदक तहसीलदार झुन्झुनू ने रिपोर्ट अपने पत्रांक भू0अ0/2024/897 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1550 रकबा 0.39 है0 गै0मु0 आवासीय नगर परिषद झुन्झुनू के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों एवं आवेदन पत्र का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 आवासीय होकर नगर परिषद झुन्झुनू के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं आवेदक द्वारा नगर परिषद को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नहीं होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः **आदेश** आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू	

Scanned with OKEN Scanner